

राजस्थान सरकार
कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव विधि एवं
संयुक्त विधि परामर्शी, विधि विभाग

क्रमांक :-प. 11(6)विधि/2/2023

जयपुर, दिनांक :-

:: आदेश ::

विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग भारत सरकार से प्राप्त प्रकरण जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) के अन्तर्गत आते हैं उनकी वर्तमान समय में समीक्षा (प्रासंगिकता/उपादेयता/संशोधन/निरसन) के संबंध में गठित समीक्षा समिति में नियुक्त सदस्य श्री टीकाराम शर्मा, शासन संयुक्त सचिव, विधि रचना संगठन के सेवानिवृत्त हो जाने पर उक्त समीक्षा समिति में उनके स्थान पर निर्देशानुसार श्री योगेश शर्मा, विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विधि विभाग को नामित किया जाता है।

(तनवीर चौधरी)
अध्यक्ष, समीक्षा समिति एवं
विशिष्ट शासन सचिव विधि एवं
संयुक्त विधि परामर्शी, विधि
विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
2. समीक्षा समिति के समस्त सदस्यगण।
3. श्री योगेश शर्मा, विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विधि विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

अध्यक्ष, समीक्षा समिति एवं
विशिष्ट शासन सचिव विधि एवं
Signature valid

Digitally signed by Tanvir Chaudhary
Designation: Special Secretary
Date: 2023.06.27 12:35:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4565710

